(7)

संख्या–669 / एक–1–9–2014–11(2) / 2011

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0 ।
2– समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 ।

राजस्व अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक 24 जुलाई,2014

विषयः–आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए **"आय आगणन मानक"** का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आय प्रमाण–पत्र बनाने हेतु आय आगणन मानक निर्धारित किए जाने हेतु आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद,उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये जाते हैः–

1–परिवार की अवधारणाः– परिवार की आय का आगणन करने हेतु परिवार में पति–पत्नी,अवयस्क एवं अविवाहित वयस्क संताने तथा आश्रित माता पिता को सम्मिलित किया जायेगा । यहां आश्रित का तात्पर्य परिवार के उन सदस्यों से है जिनकी स्वयं की कोई आय न हो और जो परिवार के साथ रहते हों । आय का आगणन करने के लिए परिवार की समस्त श्रोतो से कुल आय को संज्ञान में लिया जायेगा । परिवार के मुखिया की आय एवं परिवार के अन्य सदस्यों की आय को जोड़ते हुए परिवार की कुल आय के आधार पर आय–प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, परन्तु परिवार में कोई विधवा अथवा परित्यक्ता महिला होने की दशा में उसकी आय को परिवार की आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

2– आय का आगणन :–

(1) **अकुशल मजदूर**–(क)व्यक्ति के अकुशल भूमिहीन मजदूर होने की दशा में, सरकार द्वारा निर्धारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी की दर रु0 142.00 प्रतिदिन अथवा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय, की दर से वर्ष में औसत 75 कार्यदिवस (142 X75=रु0 10650.00) तथा 75 कार्यदिवस की मजदूरी की सामान्य दर रु0 100.00 प्रतिदिन(100X 75=रु0 7500.00) कुल–रु0 18150.00 निकटतम पूर्णांकित वार्षिक मजदूरी रु0 18000.00 आगणित की जायेगी ।

(ख)यदि व्यक्ति अकुशल मजदूर है तथा उनके पास कृषि भूमि भी है तो ऐसी दशा में कृषि भूमि से आय तथा अकुशल भूमिहीन मजदूर हेतु बिन्दु–1(क) में वर्णित कुल पूर्णांकित मजदूरी रु0 18000.00 को जोड़ते हुए कुल आय का आगणन किया जायेगा ।

(2) **कुशल मजदूर**–(क) व्यक्ति के कुशल मजदूर (लोहार, बढई,राजगीर, शिल्पकार, फेरीवाले, खोमचे वाले, पान की गुमटीवाले तथा अन्य छोटे व्यवसाई)होने की दशा में कुशल मजदूर की सामान्य न्यूनतम मजदूरी दर रु0 180.00 प्रतिदिन को आधार मानकर वर्ष में कम से कम 150दिन के रोजगार से प्राप्त आय के आगणन के आधार पर 180X150=रु0 27000.00 वार्षिक आगणित की जायगी । शहरी क्षेत्र के इसी श्रेणी के कुशल मजदूर की आय ग्रामीण क्षेत्र के इसी श्रेणी के व्यवसायियों से डेढ़ गुनी अर्थात न्यूनतम रु0 40,000/–आगणित की जायेगी

3–कृषि से आय–व्यक्ति के कृषक होने की दशा में उसके पास उपलब्ध भूमि (हेक्टेयर में) X प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन– औसत लागत= वास्तविक आय के आधार पर आय का आगणन किया जायेगा । इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति सरकारी, अर्द्धसरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहा है , तो सेवायोजन से प्राप्त वार्षिक आय को सम्मिलित करते हुए आय का आगणन किया

कृ0प0प0 2/–

जायेगा ।

नोट–कृषि भूमि से आय का निर्धारण करते समय जिलाधिकारी अपने जनपद की कृषि भूमि के सिंचित,असिंचित, एक फसली, दो फसली एवं बहु फसली के आधार पर औसत उत्पादन से, औसत लागत को घटाते हुए मानकीकृत करेगें । मानकीकरण का यह कार्य जिलाधिकारी द्वारा प्रति दो वर्ष में एक बार अवश्य किया जायेगा ।

4–पेंशन– व्यक्ति की आय का स्त्रोत पेंशन होने की दशा में:–

क– सेवानिवृत्ति के फलस्वरुप प्राप्त होने वाली पेंशन से वार्षिक आय का आगणन किया जायेगा ।

ख–सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (विधवा,वृद्धा,विकलांग) एवं अन्य प्रकार के पेंशन से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर आय का आगणन किया जायेगा तथा परित्यक्ता की दशा में उसको प्राप्त होने वाले भरण पोषण भत्ता के आधार पर एवं ऐसा न होने पर उसकी आय का आगणन अकुशल मजदूर की आय के अनुसार किया जायेगा ।

5–सेवायोजन– यदि व्यक्ति या उसके परिवार की आय का स्त्रोत सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी संस्थाओं में सेवायोजन है तो आय का आगणन प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक परिलब्धियों के आधार पर किया जायेगा । इसके प्रमाण स्वरुप आयकर विवरणी [ITR] वेतन पर्ची, वेतन पर्ची न होने की दशा में नियोक्ता से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा ।

6– निजी व्यवसायी–

1–(डाक्टर,वकील,आर्किटेक्ट,चार्टर्ड–एकाउन्टेन्ट, मध्यम एवं बड़े व्यवसायी) होने की दशा में उनके भवन या दुकान का वार्षिक किराया मूल्य (Annual rental value) व्यापार कर विभाग में दाखिल विवरणी की कुल धनराशि एवं वार्षिक आयकर का आंकलन किया जायेगा

2–उपरोक्त उल्लिखित विशेषज्ञ सेवा प्रदाता यथा (डाक्टर,वकील,आर्किटेन्ट,चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इंजीनियर,ट्यूशन/कोचिंग संचालक आदि) जिनके द्वारा आयकर विवरण दाखिल नहीं किये गये है । उनकी वार्षिक आय प्रतिदिन न्यूनतम रु0 300 की दर से व वर्ष में 200 दिन मानते हुए न्यूनतम रु0 60,000/–वार्षिक आगणित की जायेगी ।

7–अन्य स्त्रोत से आय– इस श्रेणी के अन्तर्गत वे व्यक्ति आयेंगे जो उपयुर्क्त प्रस्तरों में उल्लिखित नही है । इस श्रेणी के व्यक्ति के परिवार की आय के साथ–साथ उपयुर्क्त प्रस्तरों जिनसे वह आच्छादित है, वह भी आगणित की जायेगी ।

उपरोक्त नियत मानक से कम आय होने की दशा में:– यदि स्थलीय जांच में आवेदन के व्यवसाय की श्रेणी हेतु न्यूनतम निर्धारित मानक से कम आय पायी जाती है तो ऐसी दशा में क्षेत्रीय लेखपाल उन कारणों/तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आख्या प्रस्तुत करेगा तथा अंकित की गयी आय के प्रमाण स्वरुप सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।

निर्गत किये गये आय प्रमाण पत्र के विरुद्ध अपील– तहसीलदार के आदेश/निर्गत आय प्रमाण पत्र में अंकित की गयी आय से क्षुब्ध होने की दशा में प्रथम अपील सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी एवं द्वितीय अपील जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

2– इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र वास्ते आय प्रमाण–पत्र का प्रारुप, आय निर्धारित करने हेतु लेखपाल/कानूनगों की जांच आख्या का प्रारुप तथा आय प्रमाण–पत्र का प्रारुप संलग्न कर प्रेषित है ।

3– कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्नक–यथोक्त ।

भवदीय,

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव ।

संख्या– संख्या–669(1)/एक–1–9–2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद,उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रसं01509/4– 57 ए/2013 दिनांक 02–4–2014 के संदर्भ में प्रेषित ।

2– प्रमुख सचिव,आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0शासन ।

3– राज्य समन्वयक सेंटर फार ई–गवर्नेंस उ0प्र0 अपट्रान बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ ।

4– स्टेट इन्फारमेटिक्स आफिसर एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ ।

5– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

24/07/2014

(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव ।

प्रार्थना पत्र वास्ते आय प्रमाण–पत्र

पासपोर्ट फोटो

1– आवेदक का नाम

2– पिता/पति का नाम

3– माता का नाम

4– वर्तमान पता

मकान नम्बर — मोहल्ला/ग्राम

तहसील

जिला — मोबाईल नं0

5– स्थाई पता — अथवा

मकान नम्बर — मोहल्ला/ग्राम

तहसील

जिला — मोबाईल नं0

6– व्यवसाय

7– परिवार की आय का आगणन करने हेतु परिवार में पति–पत्नी, अवयस्क एवं अविवाहित वयस्क संतानें तथा आश्रित माता पिता को सम्मिलित किया जायेगा इसमें आश्रित का तात्पर्य जिनकी स्वयं की कोई आय न हो और जो परिवार के साथ रहते हों। आय का आगणन करने के लिये परिवार की समस्त आय को संज्ञान में लिया जायेगा। परिवार के मुखिया की आय एवं परिवार के अन्य सदस्यों की आय को जोडते हुये परिवार की कुल आय के आधार पर आय–प्रमाण–पत्र को निर्गत किया जायेगा परन्तु परिवार में कोई विधवा अथवा परित्यक्ता महिला होने की दशा में उसकी आय को परिवार की आय में सम्मिलित नही किया जायेगा।

7.1 परिवार का विवरण

क्रम सं0	परिवार के सदस्य का नाम	व्यवसाय	व्यवसाय से आय (वार्षिक)
परिवार की कुल वार्षिक आय			

8– आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियॉं (निम्न में से जो लागू हो उन पर सही का चिन्ह लगायें।)

8.1 अकुशल भूमिहीन मजदूर/अकुशल खेतिहर मजदूर से आय रू0 .....

8.2 कुशल मजदूर (लोहार, बढ़ई, राजगीर, शिल्पकार, फेरीवाले, खोमचे वाले, पान की गुमटीवाले तथा अन्य छोटे व्यवसाई) /कुशल खेतिहर मजदूर से आय .....

8.3 कृषि भूमि का विवरण ग्राम क्षेत्रफल (हे0) में आय रूपये .....

8.4 पेशन से आय रू0 .....

8.5 सेवायोजन से आय रू0 ..... (वेतन पर्ची/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

8.6 निजी व्यवसाय (डाक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मध्यम एवं बडे व्यवसायी) से आय रू0 .....
दुकान का वार्षिक किराया मूल्य (Annual rental value), व्यापार कर विभाग में दाखिल विवरणी की कुल धनराशि एवं वार्षिक आयकर विवरणी (आई0टी0आर0) की रशीद संलग्न करना अनिवार्य है।

8.7 अन्य स्रोतो से आय रू0 .....

9– परिवार की कुल वार्षिक आय .....

10– क्या पूर्व में प्रमाण पत्र जारी हुआ है हॉं / नही

10.1 यदि हॉं तो उसका क्रमांक और दिनांक आय

11– आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है हॉं / नही

12– संलग्नक

(आय के सम्बन्ध में साक्ष्य संलग्न करें)

13– मै ..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनाये सही है व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है और मेरे व मेरे परिवार द्वारा जिस श्रेणी/स्रोत से आय अर्जित की जा रही है, उसका उल्लेख कर दिया गया है। इसके लिये मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ। यदि उपरोक्त सूचनाओं मे से कोई भी गलत पायी जायें तो उसके लिये मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही किया जाये।

आवेदक के सदिनांक हस्ताक्षर

केवल कार्यालय प्रयोगार्थ

14– दर्ज करायें जॉंच हेतु भेजा गया क्रमांक

आय निर्धारित करने हेतु लेखपाल/कानूनगो की आख्या का प्रारूप

1 आवेदक का नाम श्री/कुमारी/श्रीमती

2 पिता/पति का नाम

3 माता का नाम

4 वर्तमान पता

5 परिवार की आय का विवरण

परिवार के सदस्य का नाम	कृषि से आय	मज़दूरी से आय	सेवा योजन से आय	निजी व्यवसाय से आय	पेंशन से आय	अन्य स्रोतों से	कालम 2 से 7 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8
समस्त स्रोतो से परिवार की कुल आय							

** टिप्पणी –आवेदक द्वारा घोषित अथवा मानक आय मे से जो भी अन्यून हो उस आधार पर आय की गणना की जाय

6 क्या इससे पूर्व आवेदक को आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है अथवा नहीं ——— हां/नहीं। यदि हुआ है तो आय प्रमाण पत्र का कमांक ———— दिनांक ———— आय ————

7 यदि न्यूनतम मानक आय से कम आय का उल्लेख हो तो उसका कारण एवं उससे संबंधित अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें ।

8 आवेदन पत्र की स्थलीय जांच मेरे द्वारा की गयी है तथा उपरोक्तानुसार वार्षिक आय रूपया ———— के आय प्रमाण पत्र जारी किये जानें की संस्तुति की जाती है।

(लेखपाल के हस्ताक्षर एवं मुहर)
दिनांक .....

9 उपरोक्त लेखपाल की जांच आख्या से मैं सहमत हूँ तदनुसार रूपये ———— के आय प्रमाण पत्र जारी करनें की संस्तुति की जाती है।

(कानूनगो के हस्ताक्षर एवं मुहर)
दिनांक .....

10 तहसीलदार की स्वीकृति

** समस्त स्रोतो से परिवार की कुल वार्षिक आय ।

आय प्रमाण पत्र का प्रारूप

कार्यालय तहसीलदार .....

संख्या ..... दिनांक .....

" आय प्रमाण पत्र "

यथा विभागीय (क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल की) जांच/रिपोर्ट कि आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री ..... निवासी ..... के परिवार की समस्त स्रोतो से कुल मासिक आय रूपया अंको में ..... शब्दो में ..... है। जिसके अनुसार कुल वार्षिक आय रूपये अंको में ..... शब्दो में ..... है। आय का स्रोत सिलाई, कढाई, ट्यूशन, मजदूरी, नौकरी, कृषि तथा अन्य कोई हो, उसका विवरण ..... ।

यह प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष तक मान्य रहेगा।

तहसीलदार .....